कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
चम्बा, (टिहरी गढ़वाल)–
249145लय :01376-255230 फैक्स :- 01376-255230
E-mail :- eechamba@gmail.com

पत्रांक 693 / 406 / 09 दिनांक 07/05/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वनप्रभाग
नई टिहरी।

विषयः– जनपद टिहरी गढवाल के अर्न्तगत चम्बा नगर (पुर्न0) पंम्पिग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम टिहरी को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

सदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) देहरादून का पत्र संख्या–08 बी/यू0सी0पी0/09/41/2020 एफ0सी0/1318 दिनांक 22.09.2020 तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी , वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी , उत्तराखण्ड देहरादूनका पत्रांक 987/FPUK/WATER/41746/2019 दिनांक 01.10.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक 821/12–1 (52) नई टिहरी, टिहरी 13.10.2020 के संदर्भ में जनपद टिहरी गढवाल के अर्न्तगत चम्बा नगर (पुर्न0) पंम्पिग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र से कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन निम्न प्रकार से है:–

शर्त	अनुपालन आख्या
01	02
1–शर्त सं0– 01 के अनुसार वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी।	1–शर्त सं0– 01 के अनुसार वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी।
2–शर्त सं0– 02 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	2–शर्त सं0– 02 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।
3–शर्त सं0– 03 प्रतिपूरक वनीकरणः– (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1816 पौंधों के रोपण एवं दस वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.816 ha. area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) मु0–6,12,326.00 (छः लाख बारह हजार तीन सौ छब्बीस रूपये मात्र) जमा की जायेगी। वनीकरण हेतु धनराशि की मांग का विस्तृत आंकलन निम्न प्रकर है:–	3–शर्त सं0– 03 प्रतिपूरक वनीकरणः– (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1816 पौंधों के रोपण एवं दस वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.816 ha. area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) मु0–6,12,326.00 (छः लाख बारह हजार तीन सौ छब्बीस रूपये मात्र) जमा कर दी गयी हैं। वनीकरण हेतु धनराशि की मांग का विस्तृत आंकलन निम्न प्रकर है:–
प्रतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि के मांग का आंकलन 1–वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल–1.816 है0 2– वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित दर– 3,37,184.00 (तीन लाख सैन्तीस हजार एक सौ चौरासी रू0 मात्र) 3–प्रतिपूरक वनीकरण हेतु कुल धनराशि की मांग– 1.816 है0x x3.37,184.00=6,12,326.44 या 6,12,326.00 (छः लाख बारह हजार तीन सौ छब्बीस रूपये मात्र)	प्रतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि के मांग का आंकलन 1–वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल–1.816 है0 2–वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित दर– 3,37,184.00 (तीन लाख सैन्तीस हजार एक सौ चौरासी रू0 मात्र) 3–प्रतिपूरक वनीकरण हेतु कुल धनराशि की मांग– 1.816 है0x x3.37,184.00=6,12,326.44 या 6,12,326.00 (छः लाख बारह हजार तीन सौ छब्बीस रूपये मात्र) की धनराशि चालान संख्या–5341746478 दिनांक 06.01.2021 के द्वारा कैम्पा के आन लाईन पोर्टल पर जमा कर दी गयी है। (सलंग्न–चालान)

Scanned with CamScanner

4- शर्त सं0– 04 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	4. (संलग्नक–2)
5- शर्त सं0– 05 शुद्व वर्तमान मूल्यः– (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नम्बर 556, दिनांकः 30.10.2002, 01.08. 2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5/1/1998–एफ0सी0, (Pt.2) दिनांक 18.09. 2003,5–2/2006—एफ0सी0 दिनां 3.10.2006 एवं 5–3 /2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार मु0–596556.00 (पांच लाख छियानब्बे हजार पांच सौ छप्पन रूपये मात्र) की धनराशि 0.908 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) जमा करना होगा। शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि की मांग का आंकलन निम्न प्रकार है:–	5. शर्त सं0– 05 शुद्व वर्तमान मूल्यः– (क) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ˘ ;‡ द्ब संख्याः 202/1995 में नम्बर 556, दिनांकः 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5/1/1998–एफ0सी0, (Pt.2) दिनांक 18.09. 2003,5–2/2006—एफ0सी0 दिनाक 3.10.2006 एवं 5–3 /2007–एफ0सी0 दिनांक. 05.02.2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार मु0–596556.00 (पांच लाख छियानब्बे हजार पांच सौ छप्पन रूपये मात्र) की धनराशि 0.908 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) जमा करना होगा। शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि की मांग का आंकलन निम्न प्रकार है, जिसे जमा कर दिया गया है।
शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि का आंकलन	**शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि का आंकलन**
1–ईको–क्लास श्रेणी–V 2–हरियाली का घनत्व–0.1 3–एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 रूप्ये–6,57,000.00 (छः लाख सतावन हजार रूपये मात्र) 4–आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल–0.908 है0 5–कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि–0.908है0X x6.57,000.00=5,96,556.00 (पांच लाख छियानब्बे हजार पांच सौ छप्पन रूपये मात्र) (ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को जमा करना होगा, इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।	1–ईको–क्लास श्रेणी–V 2–हरियाली का घनत्व–0.1 3–एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 रूप्ये–6,57,000.00 (छः लाख सतावन हजार रूपये मात्र) 4–आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल–0.908 है0 5–कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि–0.908है0X x6.57,000.00=5,96,556.00 (पांच लाख छियानब्बे हजार पांच सौ छप्पन रूपये मात्र) की धनराशि चालान संख्या–5341746478 दिनांक 06.01.2021 के द्वारा कैम्पा के आन लाईन पोर्टल पर जमा कर कर दी गयी है। (सलंग्न–चालान) (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को जमा किया जायेगा ।
6- शर्त सं0– 06 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण वन भूमि में पेडो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 10 tress including 4 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	6- शर्त सं0– 06 का अनुपालन किया जायेगा।
7- शर्त सं0– 07 के अनुपालन में State Govt. inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	7. शर्त सं0– 07 का अनुपालन किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

8- शर्त सं0– 08 के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किए जायेगें।	8. शर्त सं0– 08 के अनुपालन में परियोजना के तहत धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किए जायेगें।
9- शर्त सं0– 09 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	9. शर्त सं0– 09 के अनुपालन में एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
10- शर्त सं0–10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण र्प्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	10- शर्त सं0–10 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण र्प्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
11- शर्त सं0– 11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा।	11. शर्त सं0– 11 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा।
12- शर्त सं0– 12 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा।	12. शर्त सं0– 12 के अनुपालन में वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा।
13- शर्त सं0– 13 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकडी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	13. शर्त सं0– 13 के अनुपालन में मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकडी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।
14- शर्त सं0–14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	14. शर्त सं0–14 के अनुपालन में सबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।
15- शर्त सं0– 15 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	15. शर्त सं0– 15 के अनुपालन में द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।
16- शर्त सं0–16 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जाएगी।	16. शर्त सं0–16 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जाएगी।
17- शर्त सं0– 17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (सरंक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं र्प्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या–11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	17. शर्त सं0– 17 के अनुपालन में द्वारा इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (सरंक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं र्प्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या–11–42 /2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।
18- शर्त सं0– 18 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	18. शर्त सं0– 18 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।
19- शर्त सं0– 19 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जायेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीच न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनजीर्वित करने का कोर्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी । निस्तारण स्थलों को राज्य वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य येाजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जायेगा।	19. शर्त सं0– 19 के अनुपालन में पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जायेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीच न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनजीर्वित करने का कोर्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी । निस्तारण स्थलों को राज्य वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य येाजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

20- शर्त सं0– 20 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश/ आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	20. शर्त सं0– 20 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश/ आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति ली जायेगी।
21- शर्त सं0– 21 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic.in/) पर अपलोड की जायेगी।	21. शर्त सं0– 21 के अनुपालन में रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic.in/) पर अपलोड की जायेगी।

भवदीय

(आलोक कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

Scanned with CamScanner

15
406
914

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

फोन/फैक्स : 01376-232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 169 / 12-1 नई टिहरी, दिनांक- 22/07/ 2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी, वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषयः- जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत चम्बा नगर (पुर्न0 पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम टिहरी को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।। (ऑनलाईन प्रस्ताव सं0- FP/UK/WATER/41746/2019)

सन्दर्भः- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) देहरादून का पत्र सं0-08बी/यू0सी0पी0/09/41/2020/एफ0सी0/1318, दिनांक-22-09-2020 व आपका पत्रांक-987/FP/UK/WATER/41746/2019, दिनांक-01-10-2020 एवं कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम चम्बा, (टिहरी गढवाल) का पत्रांक-693/406/09, दिनांक-07-05-2021।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र), देहरादून द्वारा जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत चम्बा नगर (पुर्न0 पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम टिहरी को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है:-

क्र0सं0	शर्त	अनुपालन आख्या
1	शर्त संख्या-01 के अनुसार वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
2	शर्त संख्या-02 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3	शर्त संख्या-3 प्रतिपूरक वनीकरण (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1816 पौधो के रोपण एव दस वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.816 ha. area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) मु0- 6,12,326.00 (छः लाख बारह हजार तीन सौ छब्बीस रूपये मात्र) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1816 पौधों के रोपण एवं दस वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि CA rate for 1.816 ha. area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) मु0 -6,12,326.00 (छः लाख बारह हजार तीन सौ छब्बीस रूपये मात्र) चालान द्वारा कैम्पा के ऑनलाईन पोर्टल पर जमा कर दी गई है। जिस चालान की 03 प्रति संलग्न की जा रही है। (संलग्न-01)
	(ख) राज्य शासन द्वारा रोपण स्थल की kml file, Coordinates, नक्शा, इत्यादि जानकारी इस कार्यालय को प्रदाय की जायेगी।	रोपण स्थल की kml file, Coordinates, नक्शा (रंगीन गूगल मानचित्र) संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्न-02)
4	शर्त सं0-4 के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एव सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकारण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
5	शर्त सं0-05 (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (c) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556, दिनाक-30-10-2002, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2008 एवं 09-05-2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक-5/1/1998-एफ0सी0, (Pt.2)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मु0 5,96,556.00 (पांच लाख छियानबे हजार पांच सौ छप्पन रूपये मात्र) की धनराशि 0.908 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) जमा कर

	दिनांक–18–09–2003,5–2/2006–एफ०सी०, दिनांक–05–02–2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार मु0–5,96,556.00 (पांच लाख छियानबे हजार पांच सौ छप्पन रूपये मात्र) की धनराशि 0.908 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) जमा करना होगा।	दिया गया है। चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्न–03)
	(ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को जमा करना होगा, इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जो संलग्न कर 03 प्रतियों में प्रेषित है। (संलग्न–04)
6	शर्त सं0–06 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 10 trees including 4 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण मे कटेंगे। प्रयोत अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
7	शर्त सं0–7 के अनुपालन में State Govt. Inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelinges para 11.2. The State Govt. Will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year form the date of issue of such permission.	प्रयोक्ता अभिकरण तथा अधोहस्ताक्षरी सहमत है।
8	शर्त सं0–8 के अनुपालन में परियोजना के तहत अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किए जायेगें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में समस्त धनराशि ऑनलाईन जमा की गई है। (संलग्न–01)
9	शर्त सं0–9 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
10	शर्त सं0–10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
11	शर्त सं0–11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
12	शर्त सं0–12 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
13	शर्त सं0–13 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरो को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकडी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14	शर्त सं0–14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15	शर्त सं0–15 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16	शर्त सं0–16 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजंसियो विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	शर्त सं0–17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या–11–42/2017–एफ0सी0, दिनांक–29–01–2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	शर्त संख्या–18 के अनुपालन में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्त लागू होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

Scanned with CamScanner

शर्त सं0–19 के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जायेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौध लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारे बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार सम्यबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
शर्त सं0–20 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश/आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
शर्त सं0–21 के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कापी तीन प्रतियों में मय सलग्नक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

संख्या : / तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चम्बा, टिहरी गढवाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

Scanned with CamScanner

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 06-01-2021

Agency Name.	UTTARAKHAND PAYJAL SANSADHAN VIKAS AVAM NIRMAN NIG
Application No.	5341746478
MoEF/SG File No.	8B/UCP/09/41/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	jal nigam colony,chambaTehri Garhwal
Amount(in Rs)	1208882/-

Amount In Words :Twelve Lakh Eight Thousand Eight Hundred and Eighty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	N/A
Pay to Account No.	Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	N/A

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 06-01-2021

Agency Name.	UTTARAKHAND PAYJAL SANSADHAN VIKAS AVAM NIRMAN NIG
Application No.	5341746478
MoEF/SG File No.	8B/UCP/09/41/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	jal nigam colony,chamba Tehri Garhwal
Amount(in Rs)	1208882/-

Amount In Words :Twelve Lakh Eight Thousand Eight Hundred and Eighty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	N/A
Pay to Account No.	Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	N/A

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

प्रतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि :- रु० 612326/-

NPV की धनराशि :- रु० 596556/-

कुल रु० 120882/-

Scanned with CamScanner

Sno.	Proposal No.	Application No	Application No (New)	Proposal Name	Category	Area (ha.)	User Agency Name	Date of IN-PRINCIPLE	Demand Verified Date	Action	Fill Payment Details	Statu
1	FP/UK/WATER/119860/2021	WATER119860202194б	53119860946	Banali Gov. Pumping Water Supply Scheme	Drinking Water	0.833	UTTARAKHAND PAYJAL SANSADHAN VIKAS AVAM NIRMAN NIGAM	16-3-2022	10-6-2022	Paid	Paid	Paid
2	FP/UK/WATER/41746/2019	WATER417462019478	5341746478	Chamba Nagar (Re-organization) Pumping Drinking Water Supply Scheme	Drinking Water	0.908	UTTARAKHAND PAYJAL SANSADHAN VIKAS AVAM NIRMAN NIGAM	22-9-2020	01-1-2021	Paid	Paid	Paid
3	FP/UK/WATER/29879/2017	WATER298792017688	5329879688	Suridhar Gram Samooh Pumping Peyjal Yojna	Drinking Water	0.73	UTTARAKHAND PAYJAL SANSADHAN VIKAS AVAM NIRMAN NIGAM	30-1-2018	27-4-2018	Paid	Paid	Paid
4	FP/UK/WATER/20621/2016	WATER206212016650	5320621650	Chamba Mussoorie Fal Patti Gram Samooh Dwss	Drinking Water	1.42	UTTARAKHAND PAYJAL SANSADHAN VIKAS AVAM NIRMAN NIGAM	02-8-2017	09-11-2017	Paid	Paid	Paid

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
चम्बा, (टिहरी गढ़वाल)–249145
कार्यालय :01376-255230
फैक्स :- 01376-255230
E-mail :- eechamba@gmail.com

पत्रांक 694 / 406 / 10 दिनांक 07 / 05 /2021

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमाकंन और स्तभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।

अधिशासी अभियन्ता

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
चम्बा, (टिहरी गढ़वाल)–249145
कार्यालय :01376-255230 फैक्स :- 01376-255230
E-mail :- eechamba@gmail.com

पत्रांक 702 / 406 / 11 दिनांक 12 / 05 / 2021

शपथ पत्र

विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को जमा किया जायेगा ।

अधिशासी अभियन्ता

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner